18 5/16 | पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत में पेश हुई। वादी एवं पैरोकार सहकार उप्पल हैं। पैरोकार सहकार द्वारा जवाब-दावा

(P.T.O)

पेश किया, साक्ष्य हो। वादी एवं पैरोकार
सरकार को सुना गया। पैरोकार सरकार
द्वारा राज्यहित प्रभावित नहीं होने के
कथन किये, तथा वादी द्वारा वादपत्र
की रिलीफ को दोहराया।

प्रकरण के गुणावगुण पर सम्यक
विचार किया गया। राजस्व रिकार्ड में
वादी का नाम रंगनाथ अंकित कर दिया
गया है, जबकि वादी का नाम चैनराम
है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से
यह प्रकट होता है, कि, राशनकार्ड, आधार कार्ड
निर्वाचन विभाग के फोटो पहचान पत्र
आदि में वादी का नाम चैनराम है। जबकि
श्रीलाल का फौती इन्तकाल दायर करते
समय राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम
चैनराम के स्थान पर रंधनाथ दर्ज
कर दिया है। रंधनाथ के पिता का
नाम नन्दलाल है। रंगनाथ या रघुनाथ
s/o नन्दलाल का वादग्रस्त भूमि से
कोई सरोकार नहीं है।

मजमे आम में पक्षकारान् को
सुना जाकर प्रकरण का भली भाँति
अवलोकन / मनन किया गया।

क्रमशः-

प्रकरण में वादी का वाँछित अनुतोष दिये जाने पर प्रतिवादी को आपत्ति नहीं है।

अतः दावा वादी अंशतः स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाता है, कि ग्राम दुर्जनपुरा की आराजी रकबा नं० 137, 138, 147 किता 3 रकबा 0.64 हेक्टर व रकबा नं० 104, 107, 108, 109, 110, 112, किता 6 रकबा 0.78 हेक्टर पर दर्ज वादी का नाम रघुनाथ व कचनाथ के स्थान पर चैनराम उर्फ रघुनाथ अंकित किया जावे। राजस्व रिकार्ड में अमल दामद हो। तदनुसार डिक्री सुतिब हो।

निर्णय आज दिनांक 18.05.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर राजस्व लोक अदालत कैम्प कुम्भकोट पर सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील व तालीम फैसल शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(चिन्मयी गोपाल)
I.A.S. (प्रशिक्षु)
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

Jud/Civil
Part IV-10

डिक्री ब मुकद्दमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत— उपखण्ड अधिकारी रामगंजमंडी

इजलास— चिन्मयी गोपाल (I.A.S.) (प्रशिक्षु) उपखण्ड अधिकारी

चेनराम कुमावत s/o भुरालाल कुमावत बनाम — सरकार

दावा बाबत— 88, 89 RT Act

मुकद्दमा नं.— 101 सन्— 2015

यह मुकद्दमा आज बास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू— मुसम्मात चिन्मयी गोपाल (I.A.S.)

बल जरो— जिलेन्द्र नामा रुड़ — मिलजालिब मुद्दई — सरकार द्वारा

× × × × × — मिसमात ये मुद्दायलाह पेश होकर इस दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि

× × × × × द्वारा जारी अंशत स्वीकार किया जाताहै × × × ×

सोल— — मुबलिग— — बाबत—

अलावा इस मुकद्दमे के खर्च सूद व गैरह— — फीसदी सालाना आज की तारीख

से वसूली तक— — को अदा करे।

बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18/5/2016 माह — 200

को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत— उपखण्ड अधिकारी

ओहदा— रामगंजमण्डी

मुहर्रई	रुपया	पै.	मुद्दायलाह	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा ..	1		स्टाम्प वकालतनामा ..	1	
स्टाम्प वकालतनामा ..			स्टाम्प अर्जी ..		
स्टाम्प वजह सबूत ..			महनताना वकील पर ..		
महनताना वकील ..	1		खर्ची गवाहान ..	1	
खर्ची गवाहान ..			फीस कमिश्नर ..		
फीस कमिश्नर .			बाबत इजराय हुक्मनामा ..		
बाबत इजराय हुक्मनामा ..			मुतफरिक ..	1	
मुतफरिक ..					
मीजान ..	Nil		मीजान ..	1	

नोट.—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

रा. प. जो.—40—2004—1,00,000 प्र.

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

**** अतः दावा वादी अंशतः स्वीकार किया जाकर यह
दिये जाते है। कि ग्राम दुर्जनपुरा की नारायी रक० नं.
138, 147 रकबा 3 रकबा 0.64 हेक्टर व रक न. [illegible]
108, 109, 110, 112 किता 6 रकबा 0.78 हेक्टर पर रजीक
का नाम रघुनाथ व रघनाथ के स्थान पर चैनराम की
रघुनाथ अंकित किया जावे। राजस्व रिकार्ड मे अमल
दरामद हो।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]